कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली

पत्र सं0/मान्यता/ 2550-52 /2013–14 दिनॉक– 29-6-13

प्रबन्धक,
श्री बृजलाल यादव मेमो० पब्लिक स्कूल,
बेनीमाधवगंज,
रायबरेली।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाणपत्र।

आपके तारीख 23.8.12 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मै श्री बृजलाल यादव मेमो० पब्लिक स्कूल, बेनीमाधवगंज रायबरेली को तारीख 1.7.13 से तारीख 30.6.16 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। (अंग्रेजी)

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/संबन्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में),उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4– पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक प्रथक बैक खाता रखेगा।

5– सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और यह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः
(1)–प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

क्रमशः.....................2

(2)–किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।

(3)–प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्डपरीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

(4)–प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बाल को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(5)–अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6)–अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा–23(1) के अधीन या यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है।परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नही है,05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगें।

(7)–अध्यापक अधिनियम की धारा–24(1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(8)–अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नही करेंगें।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथाविर्निदिष्ट विद्यालय के मानको और सन्नियमों को बनाये रखेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्यानुसार अन्तिम निरीक्षण के समय की रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार है:

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल .... 40000 वर्ग फीट
कुल निर्मित क्षेत्र .... 20400 वर्ग फीट
कीडा स्थल का क्षेत्रफल .... 20400 वर्ग फीट
कक्षाओं की संख्या 10
प्राध्यापक–सहकार्यालय–सह भण्डारगाह की लिये कक्ष 05
बालक और बालिकाओं के लिये प्रथक शौचालय 04 (अलग-अलग)
पेयजल सुविधा .... है।
मिड डे मील पकाने के लिये रसोई .... नहीं
बाधारहित पहुँच .... है।
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करें/पुस्तकालय की उपलब्धता ... है।

9– विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलायी जायेगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

क्रमशः.....................3

11– विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये; प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली को भेजी जानी चाहिये।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 13 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने का विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

16– सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।

17– संलग्नक उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
रायबरेली

पृ०सं०/ /2013–14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) षष्ठ मण्डल लखनऊ।

2– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद रायबरेली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
रायबरेली